

2018/00368

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पंजाब एण्ड सिंध बैंक/मै. साध ट्रेडर्स आदि किस्म मुकदमा विधि (प्रार्थना-पत्र धारा 14 सिविल रिट्स/इंजेक्शन एक्ट) मुकदमा संख्या 75/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	---	--

श्री आर. पी. सिंह एडवोकेट

आदेश

11.09.18

पत्रावली पेश हुई। गत पेशी पर प्रार्थी (बैंक) के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता की बहस है कि सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बैंक के पक्ष में आदेश देने हेतु अप्रार्थी (ऋणी) को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा सकता। ऋणी / गारण्टर के पास रिलीफ प्राप्त करने हेतु उचित विधिक उपचार उपलब्ध है। अतः ऋणी/गारण्टर वहीं अपना पक्ष रख सकते हैं। आर.टी.आई. के तहत आवेदन प्रस्तुत करने पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने यह भी माना है कि सरफेसी एक्ट के तहत प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में सभी जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा एक प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है। बैंक द्वारा संपूर्ण जानकारी दी गई है कि समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है। बैंक के पक्ष में आदेश दिये जाने पर कोई विधिक रूकावट नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी (बैंक) स्वीकार किया जावे। बहस के समर्थन में विद्वान वकील प्रार्थी ने बम्बई उच्च न्यायालय रिट पीटिशन सं. 2768/2006 मैसर्स ट्रेड वैल बनाम इंडियन बैंक, रिट पीटिशन 4344/11 सारस्वत कॉर्पोरेटिव बैंक लि. बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र, योजना विभाग के पत्र सं. 25(1) प्लान/आई.एफ./vi/2005/पी-11 दिनांक 10.03.2006, 23.10.15 के उद्धरण प्रस्तुत किये।

हमने प्रार्थी (बैंक) के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। बैंक द्वारा ऋणी को दिनांक 05.10.15 को ऋण दिया गया है तथा 13 (2) का नोटिस दिनांक 18.01.18 को दिया गया है जिसकी विधिवत तामिली रिपोर्ट संलग्न नहीं है। तत्पश्चात धारा 14 सरफेसी एक्ट के तहत इस न्यायालय में दिनांक 27.06.18 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सरफेसी एक्ट की धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा। बैंक द्वारा ऋणी को 13 (2) को नोटिस देने के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में काफी विलम्ब हुआ है जिसकी विधिवत तामिली रिपोर्ट नहीं है। इस दौरान संभवतः स्थिति भिन्न हो सकती है जो ऋणी/गारण्टर को सुने बिना ज्ञात नहीं हो सकती। उक्त परिस्थिति में हम प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पालना में अप्रार्थीपक्ष को तलब किया जाना न्यायोचित मानते हैं।

उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी (बैंक) अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थी (बैंक) सरफेसी एक्ट 2002 की पूर्ण पालना करते हुए नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

आदेश आज दिनांक 11.09.2018 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर नंबर से कम हो। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।



(डॉ. एन.के.गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट एवं